महत्वपूर्ण

संख्या-3747/नौ-5-2013-120 बजट/2013

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2013

विषयः राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु संचालित "नगरीय सड़क सुधार योजना" के कियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु संचालित "नगरीय सड़क सुधार योजना" तथा नागर निकायों को सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु अन्य समस्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि से सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 के प्रस्तर-2(4) एवं 2(6) में निम्नवत् संशोधन किया जाना निर्णीत हुआ है-

प्रस्तर संख्या	शासनादेश दिनांक 07.06.2013 में दी गई व्यवस्था	संशोधन के पश्चात नई व्यवस्था
2(4)	योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से 3.75 मीटर या उससे कम चौड़ी सड़कों का निर्माण इन्टरलाकिंग ब्रिक्स, जो आई0एस0आई0 मार्का हों, के द्वारा ही कराया जायेगा। निर्माणाधीन इन्टरलाकिंग सड़कें यदि ऐसे स्थान से गुजरती है, जहां भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक रहता है, वहॉ कम से कम 04 इंच (10 सेमी) मोटाई की इंटरलाकिंग ब्रिक्स का प्रयोग किया जायेगा। ऐसे मार्ग जहॉ पर केवल हल्के वाहन यथा कार, मोटर साइकिल, आदि/पैदल यात्री गुजरते हों, वहॉ पर सड़कों के निर्माण में 03 इंच (08 सेमी) मोटाई की इन्टरलाकिंग ब्रिक्स का प्रयोग किया जायेगा। इन्टरलाकिंग ब्रिक्स के बिछाने से पूर्व पत्थर की गिट्टियों का प्रयोग यथास्थिति उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेडयूल एवं	योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से 3.75 मी0 (कैरिज विड्थ) या उससे कम चौड़ी सड़कों का निर्माण इन्टरलांकिग ब्रिक्स, जो आई.आर.सी. (इण्डियन रोड कांग्रेस) विशिष्टियों के अनुरूप न्यूनतम एम-30 (30 M.Pa-Megapascal) ग्रेड की हो, के द्वारा ही कराया जायेगा। निर्माणाधीन इन्टरलांकिग सड़कें यदि ऐसे स्थान से गुजरती है, जहां भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक रहता है, वहॉ परिस्थितिनुसार 8-10 सेमी. मोटाई की इन्टरलांकिग ब्रिक्स का प्रयोग किया जायेगा। ऐसे मार्ग जहॉ पर केवल हल्के वाहन जैसे कार, मोटर साइकिल आदि/पैदल यात्री गुजरते हों, वहॉ पर 6-8 सेमी. मोटाई की इन्टरलाकिंग ब्रिक्स का प्रयोग परिस्थितिनुसार किया जायेगा। इन्टरलाकिंग ब्रिक्स के बिछाने से पूर्व पत्थर की गिट्टियों का प्रयोग यथास्थिति उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेडयूल एवं विशिष्टियों के अनुसार किया

	विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा। यदि कहीं सड़कों पर अधिक वजन के वाहन का आवागमन हो रहा हो तो वहां पर 6 इंच की इन्टरलाकिंग बिक्स भी प्रयोग में लायी जा सकती है। मानक के अनुसार सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण न किया जाना दण्डनीय होगा।	जायेगा। मानक के अनुसार सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण न किया जाना दण्डनीय होगा।
2(6)	यदि किसी मोहल्लें में सड़क का निर्माण कराया जाना है और जो आम रास्ता नहीं है तथा भारी वाहन भी सामान्यतया नहीं जाते हों तो उक्त सड़क के लिए सन्दर्भित 3.75 मीटर का मानक प्रभावी नहीं होगा।	यदि किसी मोहल्लें में सड़क का निर्माण कराया जाना है, जो आम रास्ता नहीं है तथा भारी वाहन भी सामान्यतः नहीं जाते हों तो उक्त सड़क के लिए सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07.06.2013 के प्रस्तर-2 के बिन्दु-5 के 3.75 मी0 का मानक प्रभावी नहीं होगा।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय निकायों द्वारा सन्दर्भित शासनादेश के सन्दर्भ में विभिन्न बिन्दुओं, यथा- शासनादेश दिनांक 07.06.2013 के प्रभावी होने की तिथि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के सन्दर्भ में शासनादेश का प्रभावी होना आदि, पर मार्गदर्शन चाहा गया है। तत्क्रम में वस्तुस्थिति निम्नवत् है-

(क) यह स्पष्ट किया जाता है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07.06.2013 तत्काल प्रभाव से लागू है। अतः जिन मामलों में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07.06.2013 के निर्गत होने से पूर्व निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और शासनादेश की तिथि तक कार्य प्रारम्भ न हुए हों, उनके सन्दर्भ में निविदाएं नये सिरे से प्राप्त की जाय।

(ख) यह भी स्पष्ट करना है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07.06.2013 प्रदेश के नागर निकायों को सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु नगरीय सड़क निर्माण योजना के साथ-साथ अन्य समस्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि से सड़क के निर्माण/पुनर्निर्माण पर प्रभावी है।

4- प्रस्तर-2 में उल्लिखित संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 की शेष व्यवस्थाएं/शर्तें यथावत् रहेंगी।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3747(1)/नौ-5-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
5- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल
6- कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)/गार्ड फाइल।

ओम्

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।